न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी – दीपक सिंह खटाना (R.A.S.)

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
89/दावा/2016(2016/00423)	18.10.2016	27.11.2024

(1) रामनाथ आयु 62 वर्ष आ0 नारायण जाति धाकड़ निवासी कैथुदा
(2) बिरधीलाल आयु 60 वर्ष आ0 नारायण जाति धाकड़ निवासी कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

–वादीगण

बनाम

(1) मोहन लाल आ0 कचरिया जाति नायक
(2) कजोड़ आ0 कचरिया जाति नायक
(3) सुरेश आ0 जगन्नाथ जाति नायक
(4) पुष्पा पुत्री जगन्नाथ जाति नायक
(5) बसन्ती पुत्री जगन्नाथ जाति नायक
(6) इन्द्रा पुत्री जगन्नाथ जाति नायक
(7) माना पुत्री जगन्नाथ जाति नायक
(8) जगदीश आ0 प्रभूलाल जाति नायक
(9) आकाश आ0 प्रभूलाल जाति नायक
(10) भूपेंद्र आ0 प्रभूलाल जाति नायक
(11) संजय आ0 प्रभूलाल जाति नायक
(12) कान्ता पुत्री प्रभूलाल जाति नायक
(13) किशना बाई पुत्री प्रभूलाल जाति नायक
(14) गीता बाई पुत्री प्रभूलाल जाति नायक
(15) रोशन बाई पुत्री बबलू जाति नायक
(16) सन्तोष बाई पुत्री बबलू जाति नायक
(17) गीता बाई पुत्री बबलू जाति नायक
(18) गोपाल आयु 60 वर्ष आ0 कंवरलाल जाति नायक
(19) भैरूलाल आ0 भँवर लाल जाति नायक
(20) देवलाल आ0 भंवर लाल जाति नायक
(21) पप्पूलाल आ0 भँवरलाल जाति नायक निवासीगण ग्राम कैथुदा तहसील तालेडा हाल निवासी कोटडी गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री कुलदीप सिंह गोड
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 188,183 आर.टी.एक्ट

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि खतोनी सं0 नई 10 की कृषि भूमि खसरा सं0 399 रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम कैथुदा पटवार क्षैत्र कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी(राज0) में विस्थित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त कृषि भूमि के खातेदार वादीगण एवं उनके भाई चान्दसुख व बहने बिरधीबाई, चाहन्याबाई, गेन्दीबाई अंकित है। जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 संलग्न वाद पत्र है।वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार निरन्तर, निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते, फसल बोते व काटते चले आ रहे है। जिसका वादीगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 21 ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है, जिनका वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित कृषि भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। इस उपरान्त भी प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने की मंशा रखते है। अपने इस नाजायज उद्देश्य की पूर्ति में प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने की धमकीयाँ देते है। जिसका उन्हे कोई वेधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। दिनांक 14–10–2016 को प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित कृषि भूमि पर ट्रेक्टर लेकर मौके पर आये और उक्त कृषि भूमि को हॉकने लगे, किन्तु मौके पर वादीगण के आ जाने से प्रतिवादीगण अपने अवैध उद्देश्य की पूर्ति मे सफल नहीं हो सके। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि उक्त भूमि के खातेदार हम है तुम्हे उक्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है किन्तु प्रतिवादीगण वादीगण को धमकी देकर गये कि हम तो उक्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करके वादीगण को बेदखल करेगे। मौके पर आस पास के पड़ोसी काश्तकार भी इकटठे हो गये जिनके द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि को नहीं हॉक सके, लेकिन जाते ज़ाते भी कहते गये कि आज उक्त भूमि पर कब्जा नहीं कर सके तो क्या हुआ। हम उक्त आराजी पर कब्जा करने के लिए फिर आवेगे एवं जो भी हमारे बीच मे आया उसको जान से खत्म करके ही दम लेगे। यही वाद कारण है जो निरन्तर पैदा हो रहा है। वादीगण गरीब काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण लडाकू झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है ऐसी स्थिति में वादीगण को अपने अधिकारो की सुरक्षा हेतु उक्त वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वे वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित कृषि भूमि अथवा उसके किसी भी भू–भाग पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नही करे, वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे तथा वादीगण को उक्त भूमि

उपयोग उपभोग व फसल बोने व काटने, काश्तकारी करने में कोई अवरोध न तो स्वयं पैदा करे, न ही अपने प्रतिनिधि से करावे। यदि वाद के दौरान प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि अथवा उसके किसी भी भू-भाग पर जबरन कब्जा कर ले तो प्रतिवादीगण को आदेशात्मक आज्ञा द्वारा उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा मौके पर वादीगण को सम्भलाया जावे। यदि प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वे वादीगण को वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित कृषि भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लेगे एवं वादीगण के शान्तिपुर्ण कब्जे काश्त में अवरोध पैदा करेगे। जिससे वादीगण को ऐसी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार सम्भव नही हो सकेगी एवं प्रार्थीगण का वाद प्रस्तुत करना ही निर्थक हो जावेगा। वाद कारण दिनांक 14-10-2016 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर आमादा होने से निरन्तर पैदा हो रहा है। वाद कारण उत्पत्ति से दावा अवधि मध्य प्रस्तृत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की डिक्री मय हर्जे खर्चे प्रदान की जावे कि प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित कृषि भूमि अथवा उसके किसी भी भू-भाग पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करे, वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नही करे तथा वादीगण को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग व फसल बोने व काटने, काश्तकारी करने में कई अवरोध न तो स्वयं पैदा करे, न ही अपने प्रतिनिधि से करावे। यदि वाद के दौरान प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि अथवा उसके किसी भी भू-भाग पर जबरन कब्जा कर ले तो प्रतिवादीगण को आदेशात्मक आज्ञा द्वारा उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा मौके पर वादीगण को सम्भलाया जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण 1,2,14,17,19,20 व 21 जर्ये अभिभाषक उपस्थित किन्तु कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। उपस्थित प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया ना ही पुनः उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण के नियमित अनुपस्थित रहने एवं बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील वादी द्वारा साक्ष्य में वादी बिरधीलाल व रामनाथ के शपथ पत्र पेश कर वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया एवं वाद पत्र के संलग्न जमाबन्दी खाता सं0 10 संवत 2070-73 ग्राम केथुदा को प्रदर्श -1 एवं न्याया0 श्रीमान जिला कलक्टर महो0 बून्दी की मिसल सं0 195/अपील/16 निर्णय 05.08.2019 को प्रदर्श-2 अंकित किया गया।

बहस एकपक्षीय सूनी गई। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद पत्र के संलग्न न्याया0 श्रीमान जिला कलक्टर महो0 बून्दी की मिसल सं0 195/अपील/16 के निर्णय 05.08.2019 एवं नकल जमाबन्दी के आधार पर वाद वर्णित भूमि वादीगण के खातेदारी अधिकार की होने से प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित कृषि भूमि अथवा उसके किसी भी भू-भाग पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करे, वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे तथा वादीगण को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग व फसल बोने व काटने, काश्तकारी करने में कई अवरोध न तो स्वयं पैदा करे, न ही अपने प्रतिनिधि से करावे। यदि वाद के दौरान प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि अथवा उसके किसी भी भू-भाग पर जबरन कब्जा कर ले तो प्रतिवादीगण को आदेशात्मक आज्ञा द्वारा उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा मौके पर वादीगण को सम्भलाये जाने का निवेदन किया गया।

बहस वकील वादी एवं वाद पत्र मे अंकित तथ्यो एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने से वाद पत्र में अंकित तथ्यो एवं संलग्न दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि वादी वाद वर्णित आराजी का खातेदार कृषक है जिस पर वादी को समस्त खातेदारी अधिकार प्रदत्त है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया वाद वर्णित आराजी पर खातेदार कृषक के अधिकार प्रदत्त है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया वाद वादीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है। सुविधा के सन्तुलन के बिन्दु एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर भी विचार किया जाता है तो वादीगण की खातेदारी अधिकार की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से मजामहत की जाती है तो उसके विपरित प्रभाव वादीगण के खातेदारी अधिकार पर ही होंगे एवं अपूरणीय क्षति भी वादीगण को होगी। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया , सुविधा के सन्तुनल एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विचार करने पर उक्त तीनो बिन्दु वादीगण के पक्ष में प्रमाणित होते है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया वाद वर्णित आराजी वादीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि होने से वादी के पक्ष में होने एवं वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार वादीगण के होने से सुविधा के सन्तुलन के बिन्दु एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विचार करने पर तथ्य वादी के पक्ष में प्रमाणित होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की कृषि भूमि खाता सं. 10 सवत 2070-73 वाके ग्राम कैथुदा अथवा उसके किसी भी भू-भाग पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करे, वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे तथा वादीगण को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग व फसल बोने व काटने, काश्तकारी करने में कोई अवरोध न तो स्वयं पैदा करे, न ही अपने प्रतिनिधि से करावे। नियमानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर कराई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(दीपक सिंह खटाना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास : दीपक सिंह खटाना , आर0ए0एस0

(1) रामनाथ आयु 62 वर्ष आ0 नारायण जाति धाकड़ निवासी कैथुदा
(2) बिरधीलाल आयु 60 वर्ष आ0 नारायण जाति धाकड़ निवासी कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

–वादीगण

बनाम

(1) मोहन लाल आ0 कचरिया जाति नायक
(2) कजोड़ आ0 कचरिया जाति नायक
(3) सुरेश आ0 जगन्नाथ जाति नायक
(4) पुष्पा पुत्री जगन्नाथ जाति नायक
(5) बसन्ती पुत्री जगन्नाथ जाति नायक
(6) इन्द्रा पुत्री जगन्नाथ जाति नायक
(7) माना पुत्री जगन्नाथ जाति नायक
(8) जगदीश आ0 प्रभूलाल जाति नायक
(9) आकाश आ0 प्रभूलाल जाति नायक
(10) भूपेंद्र आ0 प्रभूलाल जाति नायक
(11) संजय आ0 प्रभूलाल जाति नायक
(12) कान्ता पुत्री प्रभूलाल जाति नायक
(13) किशना बाई पुत्री प्रभूलाल जाति नायक
(14) गीता बाई पुत्री प्रभूलाल जाति नायक
(15) रोशन बाई पुत्री बबलू जाति नायक
(16) सन्तोष बाई पुत्री बबलू जाति नायक
(17) गीता बाई पुत्री बबलू जाति नायक
(18) गोपाल आयु 60 वर्ष आ0 कंवरलाल जाति नायक
(19) भैरूलाल आ0 भँवर लाल जाति नायक
(20) देवलाल आ0 भंवर लाल जाति नायक
(21) पप्पूलाल आ0 भँवरलाल जाति नायक निवासीगण ग्राम कैथुदा तहसील तालेडा हाल निवासी कोटडी गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

–प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 188,183 आर.टी.एक्ट

89/दावा/2016(2016/00423)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री कुलदीप सिंह गोड एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की कृषि भूमि खाता सं. 10 सवत 2070–73 वाके ग्राम कैथुदा अथवा उसके किसी भी भू–भाग पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नही करे, वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नही करे तथा वादीगण को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग व फसल बोने व काटने, काश्तकारी करने में कोई अवरोध न तो स्वयं पैदा करे, न ही अपने प्रतिनिधि से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

नींज..... मुबलिक..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालात स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मींजान			स्टाम्प वकालात स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 27 माह 11 वर्ष 2024 को जारी की गई।

मोहर

(दीपक सिंह खटाना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Adv.